



2025: CGHC: 47694
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील क्रमांक 224, वर्ष 2017
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 23.06.2025
निर्णय उद्धोषित करने का दिनांक : 17.09.2025

1 - मनोज वढेर, आत्मज स्वर्गीय श्री गिरधर लाल वढेर,
आयु लगभग 40 वर्ष, वर्तमान पता- ग्रासिम कॉलोनी,
ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री, रावन, तहसील सिमगा,
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़वादी

-----अपीलार्थी

बनाम

1 - नागेंद्र वढेर, आत्मज स्वर्गीय श्री गिरधर लाल वढेर,
आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी- मुख्य डाकघर के सामने,
नयापारा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
(पूर्व जिला रायपुर), छत्तीसगढ़

2 - चंदन वढेर, आत्मज स्वर्गीय श्री गिरधर लाल वढेर,
आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी- महाराजा ग्रुप पैकिंग प्लांट,
राजश्री सीमेंट, आदित्य नगर, मलखेड़, गुलबर्गा, कर्नाटक

3 - भूपेंद्र वढेर, आत्मज स्वर्गीय श्री गिरधर लाल वढेर,
आयु लगभग 44 वर्ष, मार्फत- मनीष कुमार परमार,
जफर भाई अत्तार भाई एंड कंपनी, सब्जी कमीशन एजेंट,
दुकान क्रमांक 4, नई सब्जी मंडी, बसंतपुर, राजनांदगांव,
छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

4 - श्रीमती भारती बेन परमार, पति विनोद कुमार परमार,
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी- 52/के रिसाली नगर,



भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

5 - श्रीमती रश्मिबेन परमार, पति मनीष कुमार परमार,

आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी- जफर भाई अत्तार भाई एंड कंपनी,

सब्जी कमीशन एजेंट, दुकान क्रमांक 4, नई सब्जी मंडी,

बसंतपुर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

6 - सुनीता वढेर, पति नागेंद्र वढेर, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी- डाकघर के सामने,
नयापारा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा,
छत्तीसगढ़.....प्रतिवादीगण,

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार पाली, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास

(सी.ए.वी. निर्णय)

1. अन्तरवर्ती आवेदन क्रमांक 03/2025 पर सुनवाई की गई, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 3 का नाम वाद-शीर्षक से विलोपित करने हेतु एक आवेदन है। सम्यक विचारोपरांत उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 का नाम वाद-शीर्षक से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।
2. यह वादी की प्रथम अपील है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, भाटापारा, जिला- बलौदा बाजार भाटापारा (छ.ग.) द्वारा सिविल अपील क्रमांक H-03A/2010 (अश्वनी कुमार साहू बनाम भोलाराम) में पारित निर्णय एवं आज्ञादिनांक 10.03.2017 (अनुलग्नक A/1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी द्वारा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया है।
3. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को इसके पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सिविल अपील क्रमांक H-03A/2010 में दर्शित उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।



4. वादी ने मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्कों के साथ विभाजन एवं आधिपत्य हेतु सिविल वाद प्रस्तुत किया कि:-

(अ) वादी और प्रतिवादी भाई-बहन हैं और वे हिंदू विधि द्वारा शासित होते हैं। वादी का यह मामला है कि जर्जर अवस्था में पुराने घर की पैतृक संपत्ति, जिसका शीट क्रमांक 13-ए, प्लॉट क्रमांक 103/1, खसरा क्रमांक 50, कुल क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है, मुख्य डाकघर के सामने नयापारा वार्ड, जिला-भाटापारा (जिसे इसके बाद "वाद भूमि" कहा जाएगा) में स्थित है, जो वादी और प्रतिवादीगण के नाम पर पंजीकृत है।

(ब) वादी का यह भी मामला है कि वह ग्रासिम सीमेंट प्लांट में कार्यरत है और वर्तमान में ग्रासिम सीमेंट प्लांट की कॉलोनी में रहता है, लेकिन पहले वह इसी वाद गृह में रहता था। प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त घर में अपने परिवार के साथ रहता है और जब भी वादी छुट्टियों के दौरान अपने परिवार के साथ वाद गृह में आने का इरादा करता है, तो प्रतिवादी क्रमांक 1 उसे वादी को वाद गृह से बेदखल करने के इरादे से उक्त वाद गृह में आने की अनुमति नहीं देता है। वादी का यह भी मामला है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जानबूझकर उक्त वाद गृह में तोड़फोड़ की है और उसे गंभीर नुकसान पहुँचाया है ताकि वादी वहां न रह सके। प्रतिवादी क्रमांक 1 के इस कृत्य से व्यथित होकर, वादी ने कई बार मौखिक रूप से प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की मांग की और विभाजन के लिए कहा ताकि वह अपना हिस्सा प्राप्त कर सके और अपने हिस्से का विकास कर सके।

(स) वादी का यह भी मामला है कि जब प्रतिवादीगण ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वादी ने दिनांक 04.11.09 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 को विभाजन की मांग करते हुए नोटिस भेजा। प्रतिवादीगण ने वाद संपत्ति के विभाजन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण वादी को वाद संपत्ति में लगभग 52.33 वर्ग मीटर की सीमा तक अपने 1/6 वें हिस्से के विभाजन और पृथक आधिपत्य हेतु वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद-पत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी ने वादी से मौखिक रूप से वाद संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे सूचित किया कि वह केवल अदालती प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यह तर्क देते हुए प्रति-दावा भी प्रस्तुत किया है कि उनके दादा मुरार जी वढेर ने दिनांक 16.06.1993 को वाद भूमि उसे और उसकी पत्नी सुनीता वढेर को वसीयत कर दी थी। यह तथ्य उनके संज्ञान में 21.09.2011 को तब आया जब आशीष देवांगन ने लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के बाद वाद के लंबित रहने के दौरान वसीयत सौंपी। यह भी तर्क दिया गया है कि वसीयत के आधार पर



प्रतिवादी क्रमांक 1 वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी है, अतः वाद संपत्ति पर स्वत्व के संबंध में घोषणा की मांग की गई तथा वादी को वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु व्यादेश और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने की भी प्रार्थना की गई।

6. वादी ने प्रति-दावे का जवाब दाखिल करते हुए इस तथ्य से इनकार किया है कि उनके दादा द्वारा प्रतिवादी और उसकी पत्नी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी और उक्त वसीयत दिनांक 16.06.1993 झूठी एवं कूटरचित है, अतः उसने प्रति-दावे को खारिज करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 ने भी लिखित कथन दाखिल कर यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 की सहमति के बिना घर में तोड़फोड़ की गई है और उन्होंने वादी के मामले का समर्थन किया है।

7. वह आगे यह निवेदन करेंगे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लिखित कथन दाखिल करने के बाद उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 06.10.2012 पारित की थी, किंतु बाद में उक्त एकपक्षीय निर्णय और आज्ञाप्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत कार्यवाही में, एम.जे.सी. क्रमांक 7/12 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2013 के माध्यम से अपास्त कर दिया गया।

8. प्रतिवादी क्रमांक 6, जो प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी है, ने भी प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष का समर्थन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया और तर्क दिया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के दादा द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 16.06.1993 के आलोक में वाद भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्व-अर्जित संपत्ति है, अतः उसने वाद को खारिज करने की प्रार्थना की।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर कुल 4 वाद-विषय विरचित किए हैं, जिनमें से वाद-विषय क्रमांक 1, 2, 4 और 6 प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:-

“1. क्या, नयापारा वार्ड मेन पोस्ट ऑफिस के सामने भाटापारा में स्थित शीट क्रमांक

13-अ, भूखण्ड नं. 103/1, खसरा नं. 50, कुल क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर वादी एवं प्रतिवादीगण में संयुक्त स्वामित्व का भूमि और मकान है?

2. क्या, वादी उक्त मकान का विभाजन कराकर 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है?

4. क्या वादग्रस्त भूमि मुरार जी वाढ़ेर की स्वअर्जित संपत्ति है?

6. क्या प्रतिवादी 1 व 6 वाद मकान की एकमात्र स्वामी है?”



10. वादी ने अपने मामले की पुष्टि हेतु स्वयं का परीक्षण वादी साक्षी-1 (अ.सा.- 1) के रूप में, विमल साहू (अ.सा.- 2) का परीक्षण कराया तथा दस्तावेज प्रदर्शित किए, यथा- नजूल शीट की प्रति (प्रदर्श पी/1), नोटिस की रसीद (प्रदर्श पी/2 से पी/6), पावती (प्रदर्श पी/7 से पी/11), फोटोग्राफ्स (प्रदर्श पी/12 एवं पी/13)।
11. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपने मामले की पुष्टि हेतु भारती परमार (ब.सा.-1), रश्मि परमार (ब.सा.-2) एवं भूपेंद्र वढेर (ब.सा.-3) का परीक्षण कराया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने एकपक्षीय निर्णय एवं आज्ञासि अपास्त होने के पश्चात अवधेश तिवारी (ब.सा.-1), नागेंद्र वढेर (ब.सा.-2), श्रीमती सुनीता वढेर (ब.सा.-3) एवं आशीष कुमार देवांगन (ब.सा.-4) का परीक्षण कराया तथा दस्तावेज प्रदर्शित किए, यथा- वसीयत (प्रदर्श डी/1), विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1942 (प्रदर्श डी/2), विक्रय विलेख दिनांक 27.04.1992 (प्रदर्श डी/3), खसरा पांचसाला वर्ष 1967-68 (प्रदर्श डी/4), घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु वाद-पत्र की प्रति (प्रदर्श डी/5), सिविल वाद क्रमांक 24-ए/11 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श डी/6)।
12. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात निर्णय एवं आज्ञासि दिनांक 10.03.2017 के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 द्वारा प्रस्तुत प्रति-दावे को स्वीकार कर लिया और वसीयत दिनांक 16.06.1993 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 को वाद गृह का स्वामी घोषित कर दिया तथा वादी को वाद संपत्ति में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। निर्णय एवं आज्ञासि दिनांक 10.03.2017 से व्यथित होकर, वादी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।
13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञासि दिनांक 10.03.2017 विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, अतः वह कायम रहने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 के प्रति-दावे पर विचार करने में घोर अवैधता की है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उनके द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 16.06.1993 (जो प्रति-दावे की विषय-वस्तु है) के आधार पर प्रस्तुत वाद को बिना किसी स्वतंत्रता के वापस ले लिया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि कथित वसीयत का निष्पादन 16.06.1993 (प्रदर्श डी-1) को बताया गया है और एक वर्ष की अवधि के भीतर वसीयतकर्ता की मृत्यु वर्ष 1994 में हो गई, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वर्ष



2010 में प्रस्तुत अपने लिखित कथन में अपने पक्ष में किसी वसीयत के निष्पादन के संबंध में कोई प्रकथन नहीं किया था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के मिलान हेतु उसे हस्तलेख विशेषज्ञ के पास न भेजकर त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह विचार करने में भी विफल रहा कि अनुप्रमाणन साक्षी अवधेश तिवारी की आयु वर्ष 2016 में लगभग 45 वर्ष है, अतः वसीयत के कथित निष्पादन की तिथि पर उक्त साक्षी की आयु केवल 21 वर्ष रही होगी, ऐसे में यह संभव नहीं हो सकता कि वह 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के संपर्क में रहा हो कि वह वसीयत का साक्षी बने, जो वसीयत की प्रामाणिकता और शुद्धता पर संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 तथा उनके साक्षी ने प्रति-दावे में किए गए अपने इस अभिवचन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वसीयत साक्षी आशीष कुमार देवांगन को तब उपलब्ध हुई जब वह अपने पुराने राजस्व अभिलेखों की तलाश कर रहा था। अतः, वसीयत के निष्पादन के संबंध में गंभीर संदेह है और अपील स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष न्यायसंगत एवं उचित है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज करने की प्रार्थना की। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि वादी ने उस निर्णय एवं आज्ञादिनांक 10.03.2017 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 का प्रति-दावा स्वीकार किया गया है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञादिनांक ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, इसलिए अपील खारिज होने योग्य है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अत्यंत सतर्कतापूर्वक अवलोकन किया है।

16. उपरोक्त तर्कों के आधार पर, अवधारण हेतु जो बिंदु उभर कर सामने आया है, वह निम्नानुसार है:

“क्या विद्वान विचारण न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने में न्यायोचित था और क्या प्रति-दावे को स्वीकार करने वाले निर्णय एवं आज्ञादिनांक के विरुद्ध वादी द्वारा कोई अपील न किए जाने की स्थिति में, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के प्रति-दावे को स्वीकार करने की सीमा तक निर्णय एवं आज्ञादिनांक ने अंतिमता प्राप्त कर ली है?”



17. विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद-विषय क्रमांक 1 का निर्णय करते समय कि क्या वाद संपत्ति संयुक्त संपत्ति है अथवा नहीं, इसका उत्तर नकारात्मक में दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी साक्षी (ब.सा.-2) नागेंद्र वढेर के साक्ष्य पर भरोसा किया है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वाद संपत्ति मुरार जी वढेर की स्व-अर्जित संपत्ति थी क्योंकि उसके दादा उसके समन्वय के साथ भोजनालय चलाते थे और मुरार जी वढेर की मृत्यु के बाद वह भोजनालय चला रहा है, जिसमें न तो वादी और न ही अन्य प्रतिवादीगण ने उक्त संपत्ति में कोई हस्तक्षेप किया है; और यह अभिनिर्धारित किया है कि वाद संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं है। अन्यथा भी, वादी ने अपने वाद-पत्र में यह अभिवचन किया है कि यह एक पैतृक संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अतः यह वादी का दायित्व है कि वह ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर इसका अभिवचन और सिद्ध करे। वादी ने अपने साक्ष्य में इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत कर इन प्रकथनों की पुष्टि नहीं की है। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने दिनांक 27.04.1942 का विक्रय विलेख (प्रदर्श- डी/2) प्रस्तुत किया है, जो वादी और प्रतिवादीगण के दादा मुरार जी वढेर के पक्ष में श्रीमती राजकुमारी, पत्नी गणेश प्रसाद सिंघानिया द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख है। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि विक्रय विलेख का अनुमानात्मक मूल्य होता है जब तक कि ठोस साक्ष्य द्वारा उसका खंडन न किया जाए, और वादी द्वारा प्रदर्श डी/2 की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया था। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद-विषय क्रमांक 2 के संबंध में अभिलिखित यह निष्कर्ष कि वाद संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है, विधिक एवं न्यायसंगत है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 के दादा द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 के प्रति-दावे को स्वीकार किया है, अतः इस न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या वसीयत विधिवत निष्पादित की गई थी अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध हुई थी या नहीं। इस प्रकार, विधि के अनुसार वसीयत पर भरोसा करने के लिए, वसीयत का दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है और वसीयत के प्रस्थापक द्वारा दो अनुप्रमाणन साक्षियों में से किसी एक का परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। वसीयत (प्रदर्श डी/1) के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि दो साक्षियों, यथा अवधेश तिवारी और नारायण देवांगन ने वसीयत को अनुप्रमाणित किया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 69 के अनुसार, यदि ऐसा कोई अनुप्रमाणन साक्षी नहीं मिल पाता है, या यदि दस्तावेज़ का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित है, तो यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कम से कम एक अनुप्रमाणन



साक्षी का अनुप्रमाणन उसके हस्तलेख में है और दस्तावेज़ निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं। वर्तमान मामले में दो साक्षी यथा नारायण देवांगन और अवधेश तिवारी साक्षी हैं, जिनमें से अवधेश तिवारी का विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया था और स्वर्गीय नारायण देवांगन के पुत्र आशीष देवांगन का विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया है। आशीष देवांगन ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वसीयत में उसके पिता ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है तथा इस साक्ष्य का कोई खंडन नहीं हुआ है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वसीयत में उसके पिता के हस्ताक्षर नहीं हैं या वह अपने पिता के हस्ताक्षरों के बारे में नहीं जानता है। वादी ने इसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें हस्ताक्षरों का मिलान किया जा सके, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने आशीष देवांगन के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अनुप्रमाणन साक्षियों के हस्ताक्षर सिद्ध हो चुके हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुरूप है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 निम्नानुसार है:

"68. ऐसे दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण जिसका विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है—

यदि किसी दस्तावेज़ का विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है, तो उसका साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी को न बुलाया गया हो, यदि कोई अनुप्रमाणन साक्षी जीवित हो, और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो: [परंतु किसी ऐसे दस्तावेज़ के, जो वसीयत नहीं है और जिसका पंजीकरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार किया गया है, निष्पादन को सिद्ध करने के लिए किसी अनुप्रमाणन साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है, उसके निष्पादन से विशिष्टतः इनकार न किया गया हो।]"

19. प्रतिवादी साक्षी (ब.सा.-2) अवधेश तिवारी ने कथन किया है कि उसने वसीयत में हस्ताक्षर किए हैं और यह भी कहा है कि वसीयत के निष्पादनकर्ता ने वसीयत के तथ्यों को



सत्यापित किया था और उनकी उपस्थिति में ही उसने हस्ताक्षर किए थे, जिसके पश्चात उसने स्वयं और नारायण देवांगन ने अपने हस्ताक्षर किए थे।

20. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की विस्तृत चर्चा के बाद यह निष्कर्ष दिया है कि वसीयत का निष्पादन विधिवत किया गया है और इसे वसीयत के निष्पादन हेतु लागू विधि के अनुसार सिद्ध किया गया है। वसीयत को सिद्ध करने की पद्धति और इसके आवश्यक तत्वों पर हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **रमेश चंद (मृत) बनाम सुरेश चंद एवं अन्य [2025 INSC 1059]** में विचार किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 23 से 26 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"23. ...उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 2(h) के तहत "वसीयत" शब्द को "अपनी संपत्ति के संबंध में एक वसीयतकर्ता की विधिक घोषणा जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी करने की इच्छा रखता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके आवश्यक तत्वों को इस न्यायालय द्वारा **मथाई सैमुअल और अन्य बनाम ईपन ईपन (मृत) विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य** के मामले में आगे इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है:

'12. वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी होने के लिए अपनी संपत्तियों का व्ययन करता है और जो अपनी प्रकृति में परिवर्तनीय और उसके जीवनकाल के दौरान प्रतिसंहरणीय होता है। इसके तीन आवश्यक तत्व हैं:

- (1) यह वसीयतकर्ता की इच्छा की एक विधिक घोषणा होनी चाहिए;
- (2) वह घोषणा उसकी संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए; और
- (3) वसीयतकर्ता की इच्छा अनुसार सम्बंधित घोषणा उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होनी चाहिए।

13. वसीयती व्ययन का आवश्यक गुण निष्पादनकर्ता के जीवनकाल के दौरान इसकी परिवर्तनीयता या प्रतिसंहरणीयता है। ऐसा दस्तावेज अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए निष्पादनकर्ता की मृत्यु पर निर्भर करता है।'



24. **सूरज लैम्प** (पूर्वोक्त) के मामले में भी वसीयत की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

'22. वसीयत, वसीयतकर्ता का इच्छापत्र है। यह वसीयतकर्ता की संपदा का एक मरणोपरांत व्ययन है जो उसकी मृत्यु पर उसकी संपदा के वितरण का निर्देश देता है। यह जीवित व्यक्तियों के मध्य हस्तांतरण नहीं है। वसीयत की दो अनिवार्य विशेषताएं यह हैं कि इसे केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होने के लिए अभिप्रेत किया जाता है और वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान किसी भी समय प्रतिसंहरणीय है। यह कहा जाता है कि जब तक वसीयतकर्ता जीवित है, वसीयत उस कागज के बराबर भी नहीं है जिस पर वह लिखी गई है, क्योंकि वसीयतकर्ता किसी भी समय इसे रद्द कर सकता है। यदि वसीयतकर्ता, जो विवाहित नहीं है, वसीयत बनाने के बाद विवाह कर लेता है, तो विधि के प्रवर्तन द्वारा वसीयत रद्द हो जाती है। वसीयत का पंजीकरण इसे और अधिक प्रभावी नहीं बनाता है।'

25. इस न्यायालय ने **एच. वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिमजम्मा और अन्य** के मामले में वसीयत के प्रमाण के विषय पर संक्षिप्त रूप में इसकी रूपरेखा इस प्रकार परिभाषित की है:

'18. वसीयत के प्रमाण के मामले में सही कानूनी स्थिति क्या है? यह सर्वविदित है कि वसीयत का प्रमाण न्यायालयों में निर्णय के लिए एक आवर्ती विषय है और इस विषय पर बड़ी क्रमांक में न्यायिक घोषणाएं मौजूद हैं। वसीयत प्रस्थापित करने वाला या वसीयत के तहत दावा करने वाला पक्ष निस्संदेह एक दस्तावेज़ को सिद्ध करने की मांग कर रहा है और यह तय करने में कि इसे कैसे सिद्ध किया जाना है, हमें अनिवार्य रूप से उन वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेना चाहिए जो दस्तावेजों के प्रमाण को शासित करते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 68 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 67 के तहत, यदि किसी दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है, तो उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर उसके हस्तलेख में होना सिद्ध किया जाना चाहिए, और अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत ऐसे हस्तलेख को सिद्ध करने



के लिए विशेषज्ञों और संबंधित व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित व्यक्तियों की राय को प्रासंगिक बनाया गया है। धारा 68 उस दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित है जिसका विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है; और यह प्रावधान करती है कि ऐसे दस्तावेज़ का साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी को न बुलाया गया हो। ये प्रावधान उन आवश्यकताओं और प्रमाण की प्रकृति को निर्धारित करते हैं जिन्हें उस पक्ष द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए जो न्यायालय में किसी दस्तावेज़ पर भरोसा करता है। इसी तरह, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 भी प्रासंगिक हैं। धारा 59 प्रावधान करती है कि स्वस्थ चित्त का प्रत्येक व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकता है और इस धारा के तीन दृष्टांत संकेत देते हैं कि संदर्भ में "स्वस्थ चित्त व्यक्ति" शब्द का क्या अर्थ है। धारा 63 के लिए आवश्यक है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या यह उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और हस्ताक्षर या चिह्न इस तरह से बनाया जाएगा कि उससे यह प्रतीत हो कि इसके द्वारा लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का इरादा था। यह धारा यह भी अपेक्षा करती है कि वसीयत निर्धारित अनुसार दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या प्रस्थापक द्वारा प्रस्तुत वसीयत, वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत सिद्ध हुई है, इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए। क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वह वसीयत में किए गए व्ययन की प्रकृति और प्रभाव को समझता था? क्या उसने यह जानते हुए वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए कि इसमें क्या लिखा है? मोटे तौर पर इन सवालों का निर्णय ही वसीयत के प्रमाण के प्रश्न पर निष्कर्ष की प्रकृति निर्धारित करता है।" यह कहना प्रथम दृष्टया सत्य होगा कि वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह सिद्ध किया जाना चाहिए, सिवाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित अनुप्रमाणन की विशेष आवश्यकताओं के। अन्य दस्तावेज़ों के प्रमाण के





मामले की तरह ही, वसीयत के प्रमाण के मामले में भी गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। लागू किया जाने वाला परीक्षण ऐसे मामलों में एक प्रज्ञावान व्यक्ति की संतुष्टि का सामान्य परीक्षण होगा।”

26. इसके अतिरिक्त, **मीना प्रधान एवं अन्य बनाम कमला प्रधान एवं अन्य** में वसीयत सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया था:

“10.1. न्यायालय को दो पहलुओं पर विचार करना होता है: पहला, कि वसीयत का निष्पादन वसीयतकर्ता द्वारा किया गया है, और दूसरा, कि यह उसके द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत थी;

10.2. इसे गणितीय सटीकता के साथ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रज्ञावान व्यक्ति की संतुष्टि के परीक्षण को लागू किया जाना चाहिए।

10.3. एक वसीयत के लिए उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात:


(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या यह उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उक्त हस्ताक्षर या चिह्न यह दर्शाएंगे कि इसका उद्देश्य लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी करना था;

(ख) इसे दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित कराना अनिवार्य है, हालाँकि अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है;

(ग) प्रत्येक अनुप्रमाणन साक्षी ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या चिह्न लगाते देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा हो, या वसीयतकर्ता से ऐसे हस्ताक्षरों की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की हो;

(घ) प्रत्येक अनुप्रमाणन साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, हालाँकि सभी साक्षियों का एक ही समय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है;

10.4. वसीयत के निष्पादन को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए, कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी, जो जीवित है, न्यायालय की आदेशिका के अधीन है और साक्ष्य देने में समर्थ है, का परीक्षण किया जाएगा;





10.5. अनुप्रमाणन साक्षी को न केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के बारे में बताना चाहिए, बल्कि यह भी कि प्रत्येक साक्षी ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे;

10.6. यदि एक अनुप्रमाणन साक्षी वसीयत के निष्पादन को सिद्ध कर सकता है, तो अन्य अनुप्रमाणन साक्षियों के परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है;

10.7. जहाँ वसीयत को सिद्ध करने के लिए परीक्षित एक अनुप्रमाणन साक्षी इसके उचित निष्पादन को सिद्ध करने में विफल रहता है, तो उसके साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिए अन्य उपलब्ध अनुप्रमाणन साक्षी को बुलाया जाना चाहिए।

10.8. जब भी वसीयत के निष्पादन के संबंध में कोई संदेह विद्यमान हो, तो यह प्रस्थापक की जिम्मेदारी है कि वह इसे वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करे। ऐसे मामलों में, प्रस्थापक पर प्रारंभिक भार और अधिक भारी हो जाता है।

10.9. उन मामलों से निपटने के लिए न्यायिक अंतःकरण का परीक्षण विकसित किया गया है जहाँ वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो। इसमें वसीयतकर्ता की विषय-वस्तु के साथ-साथ वसीयत में किए गए व्ययन के परिणामों, प्रकृति और प्रभाव के प्रति जागरूकता; निष्पादन के समय वसीयतकर्ता की स्वस्थ, निश्चित और व्ययनकारी मानसिक स्थिति और स्मृति; तथा यह कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हुए वसीयत निष्पादित की; जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है।

10.10. जो कोई छल, कूट-रचना, असम्यक असर आदि का आरोप लगाता है, उसे ही उसे सिद्ध करना होगा। हालाँकि, ऐसे आरोपों के अभाव में भी, यदि संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियाँ हैं, तो प्रस्थापक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ठोस और विश्वसनीय स्पष्टीकरण देकर ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों का निवारण करे।

10.11. संदिग्ध परिस्थितियाँ "वास्तविक, सुसंगत और वैध" होनी चाहिए, न कि केवल "संदेह करने वाले मन की कल्पना" होनी चाहिए, [शिवकुमार बनाम शरणबसप्पा, (2021) 11 SCC 277]। कोई विशेष लक्षण "संदिग्ध" माना जाएगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रकृति में





वैध संदेह पैदा करने वाली कोई भी परिस्थिति संदिग्ध परिस्थिति मानी जाएगी, उदाहरण के लिए, कांपते हुए हस्ताक्षर, कमजोर मस्तिष्क, संपत्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण व्ययन, प्रस्थापक द्वारा स्वयं वसीयत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना जिसके तहत उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है, आदि।”

21. उपरोक्त चर्चा और इस विषय पर विधि से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विधि के अनुसार वसीयत सिद्ध करने में सक्षम रहा है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वसीयत सिद्ध हो चुकी है, विधिक और न्यायसंगत है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को चुनौती देने वाली वादी द्वारा प्रस्तुत प्रति-अपील कि वसीयत सिद्ध हो चुकी है, खारिज होने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

22. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील और विचारण न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय एवं आज्ञा को चुनौती देने वाली प्रति-अपील, जिसके माध्यम से वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 के पक्ष में घोषणा प्रदान की गई है, खारिज होने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

23. तदनुसार आज्ञा तैयार की जाए।

सही /-

(नरेन्द्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।